सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1056 राँची, मंगलवार, 27 नवम्बर, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2018

संख्या-05/आ.प्र.(रा.आ.मो.नि.)-14/2018-1020/आ.प्र.,-- वर्ष 2018 में मॉनसून का आगमन विलंब से (25 जून को) हुआ । मौसम विभाग, भारत सरकार एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3801/कृ०नि० दिनांक 03 नवम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 01 जून से 30 जून तक सामान्य वर्षापात 196.6 मि.मी. के विरूद्ध 131.8 मि.मी., 01 जुलाई से 31 जुलाई तक 319.4 मि.मी. के विरूद्ध 263.38 मि.मी., 01 अगस्त से 31 अगस्त तक 276.2 मि.मी. के विरूद्ध 213.2 मि.मी., 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक 235.5 मि.मी.. के विरूद्ध 133.6 मि.मी. वर्षा हुई जो कि सामान्य वर्षापात का क्रमश: 67 प्रतिशत, 82.4 प्रतिषत, 77.2 प्रतिशत एवं 56.7 प्रतिशत है। इस प्रकार राज्य में 01 जून से 30 सितम्बर तक कुल-1027.7 मि.मी. औसत वर्षापात के विरूद्ध उक्त अवधि में मात्र 741.9 मि.मी. वर्षा हुई, जो सामान्य औसत वर्षा के सापेक्ष

27.8 प्रतिशत कम है, जो कि विगत वर्षों की तुलना में काफी कम है। वर्षा की कमी के फलस्वरूप बहुत सारे प्रखण्डों में खरीफ फसल की रोपनी/बुआई लक्ष्य से कम हो पाई है, जिन क्षेत्रों में रोपनी/बुआई की गई है, वहाँ भी अल्प वर्षापात के कारण फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के उपरोक्त पत्रांक-3801/कृ०नि० दिनांक 3 नवम्बर, 2018 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि-

(i) झारखण्ड प्रदेश में सामान्य परिस्थिति में 15 जुलाई तक 80 प्रतिशत धान का रोपा (Transplanting) एवं 31 जुलाई तक 100 प्रतिषत धान का रोपा (Transplanting) की जाती है। 31 जुलाई के बाद का Transplanting Late Sowing के श्रेणी में आता है। Late Transplanting की स्थिति में उसकी उपज पर काफी प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष 2018 में 31 जुलाई तक झारखण्ड प्रदेश में सभी फसलों का आच्छादन मात्र 41.95 प्रतिशत एवं धान का आच्छादन मात्र 33.68 प्रतिशत था, जबकि धान का आच्छादन 31 जुलाई तक शतप्रतिशत हो जाना था।

(ii) जून माह में सामान्य वर्षा के विरूद्ध 32.97 प्रतिशत वर्षा कम हुई एवं जुलाई माह में 1 से 15 जुलाई के बीच 53.36 प्रतिशत कम वर्षा हुई। यह वह समय था जब धान की बुआई एवं Transplanting का उपयुक्त समय था एवं वर्षा कम होने के कारण बुआई एवं रोपा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(iii) जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में 18 जिलों में 1 एवं 1 से ज्यादा अवधि में Dry Spell रहा है, जिससे आच्छादन के उपरांत भी फसल/किसानों के लिए विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई।

(iv) सितम्बर माह में 56.74 प्रतिशत वर्षा हुई जो कि सामान्य से 43.26 प्रतिशत कम है। हथिया नक्षत्र में भी मात्र 1.6 मि.मी. वर्षा हुई, जिससे राज्य में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(v) विलम्ब से रोपा होने की स्थिति, सितम्बर माह में वर्षा में कमी एवं हथिया नक्षत्र में नगन्य वर्षा होने के कारण उक्त अवधि में धान के पौधे जो reproductive stage में होने थे वो moisture stress के कारण vegetative stage में रह गये एवं flowering प्रभावित हुआ। साथ ही जहाँ flowering हुआ भी वहाँ grain setting नहीं हो पाया जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना जिलों से प्राप्त हो रही है एवं कुछ प्रखण्डों में 60 प्रतिशत से अधिक क्षति का अनुमान है।

2. विलंब से मॉनसून प्रारंभ होने, माहवार अनियमित वर्षा होने एवं आच्छादन में कमी होने पर सुखाड़ की उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्ष हेतु दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई थी। बैठक में Manual for Drought Management में निहित प्रावधान एवं संभावित सुखाड़ के आलोक में सभी Impact Indicators की समीक्षा करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेष दिया गया। उक्त क्रम में कृषि निदेशक, झारखण्ड ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर Manual for Drought Management, 2016 (संषोधित)

नियमावली के नियम- 3.3.1 के अंतर्गत Step-1 (Trigger-1) में 206 एवं Step-2 (Trigger-2) में 129 प्रखण्डों (10 प्रखण्ड-Severe एवं 119 प्रखण्ड- Moderate) को चिह्नित किया।

3. उक्त के क्रम में दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 को माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, संबंधित सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं संबंधित सभी प्रभाग के साथ बैठक आहूत की गई, जिसमें Manual for Drought Management, 2016 के कंडिका-3.2.6 में उल्लेखित Ground Truthing/Verification की प्रक्रिया अपनाते हुए Ground Truthing 01 (एक) सप्ताह के अन्दर कराने का निर्णय लिया गया।

4. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3251 दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 एवं पत्रांक-3801/कृ॰नि॰ दिनांक 3 नवम्बर, 2018 द्वारा झारखण्ड राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया हेतु 03 (तीन) सप्ताह का अवधि विस्तार के लिए किए गए अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक-975 दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 एवं पत्रांक-1002 दिनांक 5 नवम्बर, 2018 द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से झारखण्ड राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया हेतु 03 (तीन) सप्ताह का अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आलोक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-7/1/2017-DM-1(pt) दिनांक 15 नवम्बर, 2018 द्वारा राज्य में सूखाग्रस्त घोषित करने हेतु दिनांक 18 नवम्बर, 2018 तक अवधि विस्तार किया गया है।

5. कृषि, पषुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-254/SC दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 द्वारा Step-3 में सभी उपायुक्त, झारखण्ड से Manual for Drought Management, 2016 (संषोधित) नियमावली के नियम-3.2.6 में उल्लेखित Ground Truthing/Verification के प्रक्रिया को अपनाते हुए दिनांक 10 नवम्बर, 2018 तक प्रतिवेदन की मांग की गई। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कृषि, पषुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-270/SC दिनांक 16 नवम्बर, 2018 द्वारा सुखाड़ प्रभावित 18 जिलों के 129 प्रखण्डों (93 प्रखण्ड- Severe एवं 36 प्रखण्ड- Moderate) को अंतिम रूप से सूखाग्रस्त घोषित करने की अनुषंसा के साथ सूची उपलब्ध कराई गई है।

6. उपरोक्त परिपे्रक्ष्य में निम्न निर्णय लिये जाते हैं -

(i) कृषि, पषुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-270/SC दिनांक 16 नवम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदन एवं अनुषंसा के आलोक में राज्य के 18 जिले यथा- राँची, खूँटी, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज एवं पाकुड़ के कुल-129 प्रखण्डों (93 प्रखण्ड-

Severe एवं 36 प्रखण्ड- Moderate) को अंतिम रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है, जिनकी समेकित सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ii) भारत सरकार को राज्य में उपरवर्णित 18 जिलों के कुल-129 प्रखण्डों (93 प्रखण्ड- Severe एवं 36 प्रखण्ड- Moderate) को अंतिम रूप से सूखाग्रस्त घोषित होने के उपरांत केन्द्रीय सहायता हेतु निर्धारित समय अवधि में Memorandum प्रेषित की जाय।

(iii) भारत सरकार को केन्द्रीय दल के क्षेत्र भ्रमण हेतु पत्र लिखा जाय ।

(iv) अधिसूचित जिलों के वर्णित प्रखण्डों में सुखाड़ से मुआवजा/राहत भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)/राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मद एवं मापदण्डों के अनुरूप देय होगा ।

7. वित विभाग के परामर्षानुसार NDRF/SDRF में राषि के व्यय में भारत सरकार के मार्ग निर्देषों का अक्षरश: पालन सुनिष्चित किया जाय।

8. उपरोक्त कंडिका-6 में अंकित प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक में शामिल किये जाने एवं स्वीकृति की प्रत्याशा में लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1056 -- 50